

**FORM No.III****फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी)** मुकाम **बेगूँ**

हीरालाल पिता मोती जी धाकड़ निवासी बंदे का राजपुरा

बनाम

भागीरथ पिता प्यारा जी धाकड़, नि. बंदे का राजपुरा, तह. बेगूँ

अ0धा0 88, 53 आर0टी.एक्ट.

वाद पत्र (मुसन्ना) संख्या : 33/2008

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 27.12.2017  | <p>मुसन्ना पत्रावली पेश की गयी। इस मूल पत्रावली में निगरानी/अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में होने से उक्त मूल पत्रावली संख्या 33/2008 की पत्रावली को इस न्यायालय द्वारा जरिये क्रमांक/सरिश्ता/613 (250) दिनांक 15.07.2016 से उन्हें भिजवाया गया था। उक्त मूल पत्रावली इस न्यायालय को अभी तक प्राप्त नहीं होने से पत्रावली में कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। मूल पत्रावली प्राप्त होने पर ही पत्रावली में आगामी कार्यवाही संभव होगी। इस मुसन्ना पत्रावली में कोई आगामी कार्यवाही नहीं किए जाने से एवं माननीय राजस्व मण्डल/राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश होने पर उसकी पालना किया जाना संभव होने की स्थिति में मूल पत्रावली के अभाव में यह मुसन्ना पत्रावली नम्बर से कम की जावे।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर,<br/>बेगूँ</p> |                                                       |